अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 08 / 2015

मुरलीधर प्रसाद,पंचायत राज–मानोपाली, प्रंखड–बनियापुर, जिला–सारण

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
28.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 191 दिनांक 06.02.2015 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री विद्या सिंह एवं अन्य 9 व्यक्तियों, ग्राम–पंचायत मानोपाली, पो0–सहाजितपुर द्वारा मुरलीधर प्रसाद, ज0वि0प्र0वि0 पंचायत–मानोपाली, प्रखंड–बनियापुर के विरूद्ध दिए गए परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दूओं की जॉच अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर के द्वारा दिनांक 14. 06.2014 को गयी थी, जिसके आलोंक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 407 दिनांक 22.09.2014 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रत्युत्तर विक्रेता के द्वारा अभीतक प्रस्तुत नही किया गया है। पुनः दिनांक 20.11.2014 को अपराह्न 1.00 बजे विक्रेता की दुकान का निरीक्षण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर के द्वारा की गयी है। निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार विक्रेता के विरूद्ध निम्नवत अनियमितताए पाई गई– 1. निरीक्षण के दौनान निर्धारित समय अवधि में विक्रेता की दूकान बिना किसी पूर्व अनुमति के बन्द पाया गया। 2. अन्त्योदय योजना के लाभूकों को माह अगस्त एवं सितम्बर 2014 के उपावंटित खाद्यान्न का उठाव करने के उपरान्त भी विक्रेता के द्वारा वितरण नही किया गया, जबकि खाद्यान्न का उठाव दिनांक 17.11.2014 तक किया जा चुका था। 3. निरीक्षण के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा बाताया गया कि उन्हें माह अगस्त एवं सितम्बर 2014 के खाद्यान्न आपूर्ति नहीं	

की गयी है, जिसकी पुष्टि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड से की गयी ।

4. विकेता के द्वारा जब भी खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, निर्धारित मात्रा से कम. (30 किलोग्राम) और अधिक मूल्य (110 रूपया) लिया जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 407, दिनांक 22.09.2014 से विकेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता से जवाब अप्राप्त रहने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 694 दिनांक 10.12.2014 से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। इसके बाद भी विकेता से जवाब अप्राप्त रहने की वजह से विकेता के आचरण को विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल पाते हुए, अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 191 दिनांक 06. 02.2015 से विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 20.11. 2014 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर के द्वारा श्री विद्या सिंह के परिवाद पत्र में अंकित अरोपों की जॉच हेतु विकेता की दूकान का निरीक्षण किया गया। जॉच की तिथि को विकेता के द्वारा 12.30 बजे अपराह्न तक दूकान खोल कर कार्य किया गया। 12.30 बजे अपराह्न में सीना में अचानक तेज दर्द होने की वजह से दूकान बन्द कर के वे डाक्टर के यहॉ चले गये। इस वजह से जॉच पदाधिकारी से उन्हें भेट नही हो सकी जो 1.00 बजे जॉच हेतु आए थे। परिवादकर्ता विकेता की दूकान से सबंद्ध उपभोक्ता नही है। विकेता को परेशान करने की नीयत से उसके द्वारा झुठा आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता से बिना कारण पृच्छा किये एवं बिना उन्हें सुनवाई का मौका दिए उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नही है। विकेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 191 दिनांक 06.02.2015) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। जॉच की तिथि को यदि दूकान बन्द पाई गई, तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था, कि जॉच की एक दूसरी तिथि निर्धारत कर मामले की जॉच की जाती, लेकिन ऐसा नही किया गया। विक्रेता से पूछे गए स्पष्टीकरण में कही भी शिकायत करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख नही किया गया है, जिससे यह स्पष्टीकरण अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत/बयान की प्रति भी उपलब्ध नही कराई गई है, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक था। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 18.02.2015 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

28/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

28/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 325 /दिनांक 8/2/16/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
8/2/16